पत्रांकः–भवन–13 / अभि0प्र0(नि0)–01–197 / 2017..... /

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

लक्ष्मी नारायण दास
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव
भवन निर्माण विभाग, बिहार,

सेवा में,

निबंधित

रमिया कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0,
51, ए0 पी0 कॉलनी,
थाना–रामपुर
जिला–गया (बिहार)
पिन–823001

पटना, दिनांकः–.....

विषयः– रमिया कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0, 51, ए0 पी0 कॉलनी, थाना–रामपुर, जिला–गया (बिहार), पिन–823001 के निबंधन सं0–प्रथम(कंपनी)–22(भवन) / 2017 को रद्द करने के संबंध में।

प्रसंगः– मुख्य अभियंता (दक्षिण) के पत्रांक–2150(अनु0) दिनांक–11.12.2017 एवं विभागीय पत्रांक– 11556(भ0) दिनांक–22.12.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक–11556(भ0) दिनांक–22.12.2017 द्वारा आपके निबंधन सं0–प्रथम(कंपनी)–22(भवन) / 2017 को अगले आदेश तक के लिए रद्द किया गया है। इस संबंध में आपके द्वारा दिनांक–03.01.2018 को निबंधन को जीवित रखने संबंधी पत्र प्राप्त हुआ।

दिनांक–05.03.2018 को अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव की अध्यक्षता में संवेदक के कालीकरण / निलंबन के संबंध में बैठक हुई। बैठक में उपलब्ध कराये गये कागजातों की जाँच की गई। जाँचोपरांत पाया गया कि निबंधन के समय आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये शपथ पत्र के कंडिका–5 मे दर्शाया गया है कि मैं किसी न्यायालय मे सजायाफ्ता नहीं हूँ जबकि कंडिका–5 में मानक शपथ पत्र में यह अंकित है कि कोई आपराधिक मामला मेरे विरूद्ध किसी अदालत में लंबित नहीं है। इस प्रकार आपके द्वारा विभाग को वास्तविकता से अनभिज्ञ रखते हुए गुमराह किया गया है जो कि आपके गलत मंशा का परिचायक है।

कंपनी में श्री विनीत यादव दिनांक–18.05.2017 सें निदेशक (Director) के रूप में शामिल हुए है। कंपनी के निबंधन के समय श्री विनीत यादव से संबंधित कोई भी कागजात विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है जबकि आपके कंपनी के निबंधन होने के पूर्व ही श्री विनीत यादव कंपनी के डायरेक्टर के रूप में शामिल हो गये थे। इस तरह आपके द्वारा श्री विनीत यादव से संबंधित सूचना भी नहीं दी गई जिससे कंपनी के निबंधन में श्री विनीत यादव का नाम (Director) के रूप में शामिल नहीं हो सका जो कि निबंधन नियमावली के विरूद्ध है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में रमिया कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0, 51, ए0 पी0 कॉलनी, थाना–रामपुर, जिला–गया (बिहार), पिन–823001 के निबंधन सं0–प्रथम(कंपनी)–22(भवन)/2017 को विभागीय पत्रांक–11556(भ0) दिनांक–22.12.2017 द्वारा निबंधन नियमावली के अन्तर्गत अगले आदेश तक के लिए रद्द किया गया है।

दिनांक–05.03.18 को अभियंता प्रमुख–सह–अपर–आयुक्त–सह–विशेष सचिव की अध्यक्षता में संवेदक के कालीकरण/निलंबन के संबंध में हुई बैठक में दिनांक–03.01.2018 को आपसे प्राप्त निबंधन पुनर्जीवित करने संबंधित अभ्यावेदन पर समिति द्वारा उक्त के संबंध में पूर्व मे लिए गये निर्णय पर पुनः समीक्षा की गई। समिति द्वारा समीक्षोपरांत निर्णय लिया गया कि आपके द्वारा दिये गये पुनर्जीवित करने के अभ्यावेदन में आपके द्वारा दिये गये गलत शपथ पत्र पर अपना पक्ष नहीं रखा गया है।

अतः समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत विभागीय पत्रांक–11556(भ0) दिनांक–22.12.17 द्वारा निबंधन नियमावली के कंडिका–11(क)(ix) एवं कंडिका–12 के अन्तर्गत निबंधन संख्या–प्रथम (कंपनी)–22(भवन)/2017 को रद्द करने से संबंधित पूर्व में लिए गए निर्णय को यथावत रखा गया है।

विश्वासभाजन
ह0/–
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांकः– भवन–13/अभि0प्र0(नि0)–01–197/2017.......................... पटना,दिनांक–.................

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/अभियंता प्रमुख– सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण, विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थय अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/ऊर्जा विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– भवन–13/अभि0प्र0(नि0)–01–197/2017......2761 (भ) पटना, दिनांक–23·3·18

प्रतिलिपिः–आई0 टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव